(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -195 | नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरों के निर्धारण हेतु कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/28/2008–केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास ------- आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2010 के 9वें दिन पारित)

यह मामला कंटेनरों के पोतांतरण के लिए दरों के निर्धारण हेतु कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव 8 मई 2008 से संबंधित है।

2.1. केओपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 8 मई 2008 द्वारा कही गई बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:–

(i). अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2007 द्वारा केओपीटी के दरमान के पिछले संशोधन में, केओपीटी ने पोतांतरण कंटेनरों के लिए कोई दरें प्रस्तावित नहीं की थीं और कहा था कि केवल फीडर पोत केओपीटी में प्रचालन करते हैं और कंटेनरों का पोतांतरण केओपीटी से नहीं किया गया था। तथापि, इसने अनुरोध किया था कि किसी अप्रत्याशित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोतांतरण कंटेनरों हेतु पृथक दर प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 के अनुसार सुविचारित की जा सकती है।

(ii). कुछ कंटेनर एमएलओ–सह–पोत प्रचालकों ने पोतांतरण कंटेनरों के लिए पृथक दरों हेतु अनुरोध किया है।

(iii). जनवरी 2008 माह में केओपीटी में 121 कंटेनरों का पोतांतरण किया गया है। तथापि, केओपीटी दरमान में किसी पृथक पोतांतरण दर के अभाव में, रु0 4457/– प्रति टीईयू की दर सामान्य आयात लैग और सामान्य निर्यात लैग के लिए यथा लागू वसूल की गई है।

(iv). कंटेनर–सह–पोत प्रचालकों ने केओपीटी को अभ्यावेदन किया है कि उपर्युक्त दर अन्य कंटेनर प्रहस्तन पत्तनों की तुलना में उच्चतर है और इससे केओपीटी के माध्यम से पोतांतरण रास्ते का विकास बाधित होगा।

(v). लोजिस्टिक्स विशेष अर्थात चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) और विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) में केओपीटी और दो प्रतिस्पर्धी पत्तनों के बीच भारी लागत भिन्नता है। केओपीटी के मामले में, आरएमक्यूसी/एमएचसी प्रचालन प्रभारों और ऑन बोर्ड प्रहस्तन/कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) प्रभारों के लेखा पर पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन की अतिरिक्त लागत है।

(vi). केओपीटी की ओर पोतांतरण बिजनेस आकर्षित करने के लिए लागतकरण सीसीटीएल और वीसीटीपीएल में पोतांतरण प्रभारों जोकि क्रमशः रु0 41.50 डॉलर और 94.50 डॉलर के बीच कहीं होगा। रु0 40 प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर पर विचार करते हुए, केओपीटी में पोतांतरण लागत लगभग रु0 2800/– टीईयू (पूर्णांकित) होनी चाहिए।

(vii). इस दर पर पहुंचने के लिए, लदे हुए कंटेनर के लिए रु0 2000/– प्रति टीईयू और खाली कंटेनर के लिए रु0 1000/– प्रति टीईयू की समेकित दर वसूल करना प्रासंगिक होगा। उपर्युक्त प्रभार के अलावा, रु0 750/– प्रति टीईयू की राशि एमएचसी/आरएमक्यूसी के साथ कंटेनर प्रहस्तन के लिए प्रभार्य होगी।

(viii). संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 5.5.1 निर्धारित करता है कि पोतांतरण कंटेनरों के लिए दरें सामान्य कंटेनर की दर के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तथापि, पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन की संभावना को प्रोत्साहित और दोहन करने के लिए निम्नतर दरें प्रस्तावित की गई हैं।

(ix). चूंकि पोतांतरण कंटेनरों के मामले में यातायात अनुमान इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी राजस्व विवीक्षा नहीं भेजी जा सकी। अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले संशोधन के दौरान समायोजित किया जा सकता है।

2.2. केओपीटी ने अपने मौजूदा दरमान में एक नया खंड शामिल करने का प्रस्ताव किया है जोकि निम्नवत् पठित है:–

''एस.11.5. पोतांतरण कंटेनर के मामले में, समेकित प्रभार निम्नलिखित दरों पर वसूल किया जाएगा:

पोतांतरण प्रभार जहां दोनों लैग विदेशी हों		पोतांतरण प्रभार जहां एक लैग तटीय और दूसरी लैग विदेशी हो		पोतांतरण प्रभार जहां दोनों लैग तटीय हों	
(दर रु0 में प्रति टीईयू)		(दर रु0 में प्रति टीईयू)		(दर रु0 में प्रति टीईयू)	
लदा हुआ	खाली	लदा हुआ	खाली	लदा हुआ	खाली
2000/-	1000/-	1600/-	800/-	1200/-	600/-

टिप्पणी: उपर्युक्त दरों में कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो पर घाटशुल्क, यार्ड में लिफ्ट–ऑफ सहित घाट से कंटेनर यार्ड परिवहन और यार्ड में लिफ्ट–ऑन सहित कंटेनर यार्ड से घाट तक अनुवर्ती परिवहन शामिल है।

3.1. जैसाकि पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित दरें शासित करने के लिए प्रस्तावित नोट से देखा जा सकता है प्रस्तावित दरों में घाटशुल्क तत्व शमिल है। मौजूदा दरमान भी सामान्य कंटेनर के प्रहस्तन के लिए प्रहस्तन प्रभार निर्धारित करता है।

3.2. मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 में किया गया निर्धारण पोतांतरण कंटेनर के लिए प्रहस्तन प्रभारों के निर्धारण के संदर्भ में नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"5.5.1. पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभार रियायती होंगे। ऐसे प्रभार लदाई अथवा उतराई चक्र में सामान्य प्रहस्तन प्रचालन के लिए प्रहस्तन प्रभारों के 1.5 गुना से अधिक नहीं होंगे। तटीय कंटेनरों के पोतांतरण के मामले में, ऊपर निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में रियायत लदाई अथवा उतराई चक्र में सामान्य प्रहस्तन प्रचालन के लिए तटीय कंटेनरों हेतु प्रहस्तन प्रभारों (जोकि उपर्युक्त खंड 4.3 में विनिर्दिष्ट रियायतों के अधीन हैं) के संदर्भ में परिगणित किए जाएंगे।"

3.3. उपर्युक्त दिशानिर्देश के आलोक में देखा गया है, पोतांतरण कंटेनर के मामले में, जो आयात लैग में तटीय और निर्यात लैग में विदेशी प्रतीत होगा, पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रभार्य लागू प्रहस्तन प्रभार रु0 3342.75 प्रति टीईयू [(रु0 2279/– का 75 प्रतिशत) + (रु0 2178/– का 75 प्रतिशत)]। यह स्पष्ट नहीं था कि केओपीटी रु0 4457/– प्रति टीईयू कैसे वसूल करेगा।

3.4. इसके अलावा, जब कभी सेवा के लिए विशिष्ट प्रशुल्क अधिसूचित दरमान में उपलब्ध न हो तो महापत्तन उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समान्तरतः प्रस्तावित दर तदर्थ आधार पर तब तक वसूल की जा सकती है जब तक दर को अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है। अंतरिम अवधि में प्रचालित की जाने वाली तदर्थ दर तुलनीय सेवाओं के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर अवश्य विपथित की जानी चाहिए; और, पत्तन/टर्मिनल और संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा परस्पर सहमति अवश्य होनी चाहिए। यह कार्यपद्धति मार्च 2005 के दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1, 2.17.2 और 2.17.3 में निर्धारित की गई है। केओपीटी ने उक्त कार्यपद्धति का अनुसरण किया प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि रु0 4457/– की दर के विपथन के लिए यथा परिकलन और उपयोक्ताओं की सहमति दर्शाता दस्तावेजी प्रमाण रु0 4457/– प्रति टीईयू की वसूली करते समय केओपीटी द्वारा हमें पहले उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसलिए, केओपीटी से पत्र दिनांक 18 जून 2008 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 7 जुलाई 2008 द्वारा प्रतिसाद दिया है और निम्नवत् उल्लिखित किया गया हैः–

(i). केओपीटी के दरमान में पोतांतरण कंटेनरों के लिए किसी दर के अभाव में, आयात लैग के लिए आयात कंटेनरों के लिए (60 प्रतिशत छूट के बाद) सामान्य लागू दरें और निर्यात लैग के लिए निर्यात कंटेनरों हेतु सामान्य लागू दरें अलग–अलग प्रभारित की गई थीं और लाइन से वसूल की गई थी। इसलिए, रु0 4457 प्रति टीईयू दोनों लैगों के लिए सामान्य लागू प्रभारों का जोड़ था न कि मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 के रूप में विपथित दर। तथापि, पोतांतरण कंटेनरों के लिए पृथक दरें प्रस्तावित करने के समय, केओपीटी ने मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 का अनुसरण किया है।

(ii). इसके अलावा, चूंकि मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 अनुसार लेवी के लिए केओपीटी के दरमान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए केओपीटी के पास कोई विकल्प नहीं है परन्तु तुलनीय सेवाओं के लिए वास्तविक अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर वसूल करने के लिए, जो उक्त खंड के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए पोतांतरण कंटेनरों के लिए कोई तदर्थ दर निर्धारित करने से पहले इस मामले में रु0 4457 थी।

(iii). यह सराहना की जानी चाहिए कि केओपीटी ने मार्च 2005 के दिशानिर्देशों के खंड 2.17.3 के विपरीत कोई प्रभार वसूल नहीं किया है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केओपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं।

5. इस मामले में विचार–विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). इस प्राधिकरण ने केओपीटी का मौजूदा दरमान अनुमोदित करते हुए 29 दिसम्बर 2006 को एक आदेश पारित किया था। मार्च 2001 में अनुमोदित केओपीटी का संशोधित दरमान पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरें निर्धारित करता है। तथापि, केओपीटी ने अपने प्रशुल्क प्रस्ताव में पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों का प्रस्ताव नहीं किया था जो इस आधार पर दिसम्बर 2006 में निर्णीत किया गया था कि केओपीटी में केवल फीडर पोत प्रचालन करते हैं और पोतांतरण कंटेनरों का प्रचालन नहीं किया जाता है। पत्तन ने बाद में पोतांतरण कंटेनरों को शासित करने के लिए दरों की जरूरत महसूस की थी और संदर्भित प्रस्ताव दाखिल किया है।

(ii). उपयोक्ताओं ने केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों का एकमत से समर्थन किया है, इसलिए, इस मामले में संयुक्त सुनवाई नहीं की गई थी।

(iii). केओपीटी के वर्तमान प्रस्ताव का महत्वपूर्ण फीचर है कि केओपीटी द्वारा प्रस्तावित और उपयोक्ताओं द्वारा एकमत से समर्थित दरें, पत्तन द्वारा यथा स्वीकृत, मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 के अनुसरण में निर्धारित की जाने वाली दरों से कम हैं। मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देश पत्तन न्यासों को इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों से कमतर दरें वसूल करने के लिए पत्तन न्यासों को विवेकाधिकार देते हैं। इसलिए, यह प्राधिकरण मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 का अनुसरण करते हुए पोतांतरण कंटेनरों का प्रहस्तन करने के लिए अधिकतम दरें निर्धारित करता है। इसके बावजूद, केओपीटी को यह अधिकार है कि वह वाणिज्यिक विचार–विमर्श के आधार पर मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.16.1 में यथा प्रदत्त से कमतर दरें वसूल कर सकता है, यदि वह चाहे तो।

(iv). मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 में यथा उल्लिखित, पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु आधार लदाई अथवा उतराई चक्र में सामान्य कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित प्रभार हैं। उतराई चक्र में गतिविधियों में कंटेनरों का ऑन–बोर्ड प्रहस्तन, जलयान से तट तक कंटेनरों की उतराई के लिए क्रेनों का उपयोग, घाट और यार्ड में लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ साहित घाट से कंटेनर यार्ड तक कंटेनरों का परिवहन शामिल हो सकता है। लदाई चक्र में, सेवाओं का क्रम उस उतराई गतिविधि से विपरीत है। केओपीटी का मौजूदा दरमान घाटशुल्क, ऑन–बोर्ड लेबर उपलब्ध करवाने के लिए ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभार, जलयान से तट तक अथवा विलोमतः कंटेनरों की उतराई के लिए क्रेनों का उपयोग और लिफ्ट ऑन तथा लिफ्ट ऑफ सहित घाट से यार्ड तक कंटेनरों का परिवहन निर्धारित करता है।

(v). (क). संयोगवश, कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस) में आयात लैग में लदे हुए कंटेनरों के मामले में घाटशुल्क निर्यात लैग में लदे हुए कंटेनरों से भिन्न है क्योंकि निर्यात के लिए एकल घाटशुल्क दर के विपरीत आयात के मामले में घाटशुल्क की तीन श्रेणियां हैं। इस स्थिति के मद्देनजर, पोतांतरण प्रभार केडीएस में तीन श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, आयात श्रेणियों के लिए निर्धारित घाटशुल्क पोतांतरण प्रभारों की गणना के लिए सुविचारित किए गए हैं।

(ख). हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स (एचडीसी) में, घाटशुल्क दर आयात एवं निर्यात लैग के लिए एकसमान है। इसलिए, पोतांतरण प्रभार एचडीसी में एक श्रेणी के रूप में निर्धारित किया गया है। एचडीसी के लिए पोतांतरण प्रभार परिकलन करते हुए, दरमान में यथा निर्धारित ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभार लेखा में लिए गए हैं।

(ग). खाली कंटेनरों के मामले में, केडीएस और एचडीसी में खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित घाटशुल्क की एकसमान दर को लेखा में लेते हुए और खाली कंटेनरों के लिए एचडीसी पोतांतरण प्रभारों पर खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभारों पर विचार करते हुए केडीएस और एचडीसी के लिए अलग–अलग परिगणित किए गए हैं।

(vi). सामान्य कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए केओपीटी के मौजूदा दरमान में निर्धारित प्रासंगिक प्रहस्तन दरों को लेखा में लेते हुए और मार्च 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 5.5.1 में किए गए निर्धारण का अनुसरण करते हुए, लदे हुए और खाली कंटेनरों के पोतांतरण के लिए प्रभार जब दोनों आयात और निर्यात लैग विदेशी हों, जहां एक लैग तटीय और दूसरी लैग विदेशी और जहां दोनों लैग तटीय हों परिगणित की गई हैं। प्रभारों के परिकलन के लिए गणना पत्रक **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न किया गया है।

(vii). केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों की तुलना में, दरें जो प्रकट होती हैं वह केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं। इसे ध्यान में रखना होगा कि केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें, दोनों लदे हुए और खाली कंटेनरों के लिए, बाजार की स्थिति के अनुकूल अनुमानन पर आधारित हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित दरें निर्धारित ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभारों और जलयान से तट तक कंटेनरों की उतराई के लिए क्रेनेज़ के साथ परिगणित प्रकट नहीं होती हैं। जैसाकि पहले बताया गया है, अधिसूचित दरें अधिकतम दरें होंगी। इसलिए, केओपीटी ने वाणिज्यिक विचार–विमर्शों के आधार पर केओपीटी को कमतर दरें वसूल करने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहे तो।

(viii). केओपीटी द्वारा प्रस्तावित पोतांतरण प्रभारों को लागू करना शासित करने के लिए शर्त में ऑन–बोर्ड प्रहस्तन गतिविधि और जलयान–तट स्थानांतरण के लिए क्रेनों का उपयोग शामिल नहीं है। अतः प्रस्तावित शर्त ऑन–बोर्ड प्रहस्तन की गतिविधि और जलयान/तट स्थानांतरण के लिए उपस्कर के उपयोग हेतु प्रभार शामिल करने के लिए उपयुक्ततः संशोधित की गई है।

7. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, केओपीटी के मौजूदा दरमान में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया हैः–

''एस.11.5. पोतांतरण कंटेनर के मामले में, निम्नलिखित दरों पर समेकित प्रभार प्रभार्य होंगेः–

क्र.सं.	श्रेणियाँ	पोतांतरण दरें यदि दोनों लैग विदेशी हों	पोतांतरण दरें यदि दोनों लैग तटीय हों	पोतांतरण दरें यदि एक लैग विदेशी और दूसरी लैग तटीय हो
I	केडीएस में			
(क)	लदा हुआ			
	- श्रेणी I	4392.00	2635.00	3514.00
	- श्रेणी II	6822.00	4093.00	5458.00
	- श्रेणी III	9792.00	5875.00	7834.00
(ख)	खाली	2030.00	1218.00	1624.00
II	एचडीसी में			
(क)	लदा हुआ	4763.00	2858.00	3811.00
(ख)	खाली	2401.00	1440.00	1921.00

टिप्पणी: उपर्युक्त दरें उतराई और लदाई दोनों चक्रों के लिए सुविचारित की गई हैं और कंटेनर तथा कंटेनरबद्ध कार्गो पर घाटशुल्क, ऑन–बोर्ड लेबर उपलब्ध करवाने के लिए ऑन–बोर्ड प्रहस्तन प्रभार, आरएमक्यूसी/एमएचसी का उपयोग, यार्ड में लिफ्ट–ऑफ साहित घाट से कंटेनर यार्ड तक परिवहन और यार्ड में लिफ्ट–ऑन साहित कंटेनर यार्ड से घाट तक अनुवर्ती परिवहन शामिल है।

8. दरमान में उपर्युक्त संशोधन भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के बाद प्रभावी होगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

अनुलग्नक

कोलकाता पत्तन न्यास में लदे हुए और खाली पोतांतरण कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरों की गणना

क्र.सं.	श्रेणियाँ	घाटशुल्क	ऑनबोर्ड प्रहस्तन	आरएम क्यूसी /एच एमसी	लिफ्‌ट ऑन और लिफ्‌ट ऑफ सहित घाट से यार्ड तक परिवहन	सामान्य विदेशी कंटेनर के लिए कुल प्रभार	पोतांतरण दरें यदि दोनों लैग विदेशी हों	पोतांतरण दरें यदि दोनों लैग तटीय हों	पोतांतरण दरें यदि एक लैग विदेशी और एक लैग तटीय हो
	1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7 = Col 6* 1.5 गुना	8 = Col 7 * 60%	9 = (Col 6*75%) + (Col 6*75%* 60%)
I	केडीएस में								
(क)	लदा हुआ								
	- श्रेणी I	1980.00	-	750.00	198.00	2928.00	4392.00	2635.20	3513.60
	- श्रेणी II	3600.00	-	750.00	198.00	4548.00	6822.00	4093.20	5457.60
	- श्रेणी III	5580.00	-	750.00	198.00	6528.00	9792.00	5875.20	7833.60
(ख)	खाली	405.00	-	750.00	198.00	1353.00	2029.50	1217.70	1623.60
II	एचडीसी में								
(क)	लदा हुआ	1980.00	247.50	750.00	198.00	3175.00	4763.25	2857.95	3810.60
(ख)	खाली	405.00	247.50	750.00	198.00	1600.50	2400.75	1440.45	1920.60